

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-1 के अधीन, स्तम्भ संख्यांक 3 में,-

- (i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "चार लाख" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीन लाख" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) क्रम संख्यांक 6 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "चार लाख" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीन लाख" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-195]
राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**


**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

- In the said notification, under the head ARTICLE-I, in column number 3,-
- (i) against serial number 1, for the existing expression "four lakhs", the expression "three lakhs" shall be substituted; and
 - (ii) against serial number 6, for the existing expression "four lakhs", the expression "three lakhs" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-195]
By order of the Governor,


(Praveen Gupta)
Secretary to the Government